



Handbook for Induction of...

**Residents Welfare Association,
Apartment Owners Association
&
Co-operative Group Housing Society**




Greater Noida Industrial Development Authority

*** GREATER NOIDA CITY - PLANNED WITH AN OBSESSION ***

“शासन प्रणाली में जन भागीदारी”

Compiled By : Ajay Kumar Gupta
Panel Advocate



LAW OFFICES

We take it personally ...

AJAY KUMAR GUPTA

Advocate

Supreme Court of India

Panel Advocate-Greater Noida Industrial Development Authority

Ref. No. MMLO/2020/AKG-06

दिनांक : 14 मई, 2020

विधिक सलाह

संदर्भ : फाइल नं० : **U.S./2013-14/516**

विभाग : अर्बन सर्विस

विषय : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश संख्या - गे.नो/अ०मु०का०अ०(का०आ०)/2020/350 दिनांक के संदर्भ में **RWA** के लिए नियम शर्तों /मापदंडों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विधि संगत बाई-लाज संकलित कर ,विधि-पुनरीक्षण करते हुए सम्मलित करने का निर्देश

उक्त के क्रम में निर्देशानुसार फाइल नं० : **U.S./2013-14/516** के पृष्ठ सी-422 पर संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राधिकरण की नियम एवं शर्तों एवं विस्तृत जानकारियों के साथ " **हैंड बुक फॉर इंडक्शन ऑफ़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, को-ऑपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी** " को संकलित किया गया ।

इस हैंडबुक को न्यायहित में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के हितों को रक्षित करते हुए , उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम -1976, उ० प्र० सोसाइटीज अधिनियम-1860 एवं उ० प्र० अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नियमों एवं प्रारूपों का समावेश करते हुए संकलित किया गया है । विधि-पुनरीक्षण करते हुए कागज़ी प्रति के साथ **PDF** फॉर्मेट (जिससे इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके) सम्मलित किया जा रहा है ।

संलग्न : संकलित हैंडबुक


AJAY KUMAR GUPTA
Panel Advocate



-: संकल्पना :-

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार के गठन के प्रथम दिन से ही प्राथमिकता पर नागरिक-सरकारी भागीदारी के संस्थागत रूपों को विकसित करने और भागीदारी के मौजूदा प्रतिनिधित्व रूपों की प्रभावकारिता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नए अर्थ और समृद्ध हुए हैं।



नरेन्द्र भूषण, आईएएस
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

इसी क्रम में नागरिक-सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नॉएडा शहर की पंजीकृत RWA/AOA/CGHS को मान्यता देते हुए अधिक स्वायत्तता देकर बेहतर नगरीय सुविधाये उपलब्ध कराये जाने के लिए एक सक्रिय, प्रभावी और लक्ष्य-उन्मुख नागरिक-सरकार भागीदारी की योजना "शासन प्रणाली में जन भागीदारी" का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाने वाली यह हैंडबुक, ग्रेटर नोएडा शहर की पंजीकृत RWA/AOA/CGHS संस्थाओं को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के मापदंड को जानने के लिये एवं ग्रेटर नोएडा शहर के निवासियों को बेहतर सुविधाये देने के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रेटर नॉएडा शहर की सभी RWA/AOA/CGHS इस शासन प्रणाली में जन भागीदारी योजना के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ भागीदारी कर उत्तम नगरीय सेवाये उपलब्ध करने के प्रयास को सफल बनाएंगी एवं मिलकर ग्रेटर नोएडा शहर को एक अतुलनीय क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे।

शुभकामनाये ,

नरेन्द्र भूषण

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	उद्देश्य एवं उपयोगिता	4
2	योजना में भागीदारी हेतु प्रक्रिया एवं पात्रता	5 से 6
3	रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वर्गीकरण	7
4	रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की परिभाषा	8
5	अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स (AOA) की परिभाषा	9
6	को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (CGHS) की परिभाषा	10
7	रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका एवं दायित्व	11 से 15
8	अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स एवं को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की भूमिका एवं दायित्व	16 से 19
9	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमिका एवं दायित्व	20 से 21
10	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	22 से 23



-: उद्देश्य एवं उपयोगिता :-

- इसका उद्देश्य ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों व बेहतर नगरीय सुविधाये उपलब्ध कराये जाने के प्रयासों को ग्रेटर नोएडा शहरी क्षेत्र की पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की सहभागिता के साथ संचालित कराया जाना है । ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है , परन्तु औद्योगिक क्षेत्र का विकास आवासीय क्षेत्र के विकास के बिना सम्भव नहीं है । दोनों एक दूसरे के पूरक है । इस योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं एवं बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करना है ।
- इसका उद्देश्य ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों व बेहतर नगरीय सुविधाये उपलब्ध कराये जाने के प्रयासों को ग्रेटर नोएडा शहरी क्षेत्र की पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को अधिक स्वायत्ता देते हुए , पारदर्शी तरीके से सहभागिता के साथ संचालित कराया जाना है ।
- यह योजना शासन में लोगों की भागीदारी को आसान बनाता है।
- शहरव्यापी चहुँमुखी विकास और क्षेत्रवासियों को बेहतर नागरिक सुविधा के लिए एक सार्थक प्रयास है ।
- यह योजना बहु-हितधारकों, भागीदारों (नागरिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, सरकार) की प्रक्रियाओं , सिद्धांतों विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करता है ।



-: योजना में भागीदारी हेतु प्रक्रिया एवं पात्रता :-

- ग्रेटर नॉएडा परिक्षेत्र की संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन/ कोपरेटीव ग्रूप हाऊसिंग सोसाइटी को, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु मुख्य आहर्ता है कि उसे उ०प्र० अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- ग्रेटर नॉएडा परिक्षेत्र की उ०प्र० अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत सभी पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन/ कोपरेटीव ग्रूप हाऊसिंग सोसाइटी द्वारा प्राधिकरण से मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।
- उक्त पंजीकृत आवेदक अपना आवेदन केवल Email id : wsurbanservices@gnida.in में मेल के माध्यम से ग्रेटर नोएडा द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर कर सकते हैं।
- प्राप्त किये गए आवेदनों को निर्धारित किए गए मापदंडों (जोकि इस हैंडबुक में आगे वर्णित है) के आधार पर अवलोकन कर संबंधित पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन/ कोपरेटीव ग्रूप हाऊसिंग सोसाइटी को, प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी एवं उस संस्था को मान्यता के लिए अनुमोदन की सुचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। मान्यता के लिए उक्त अनुमोदन के संबंध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी भी आवंटी/ उप-आवंटी जोकि संबंधित पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन/ कोपरेटीव ग्रूप हाऊसिंग सोसाइटी का सदस्य हो, को अगर मान्यता के लिए कोई आपत्ति होती है तो उक्त अनुमोदन की सुचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि में आपत्तिकरता द्वारा आपत्ति प्राधिकरण की ईमेल wsurbanservices@gnida.in पर प्रेषित की जा सकती है।



- आपत्तिकर्ता द्वारा प्रेषित आपत्ति का निस्तारण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड इस (जोकि इस हैंडबुक में आगे वर्णित है) एवं गुणदोष के आधार पर किया जायेगा ।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ऐसी पंजीकृत संस्थाओं को मुख्यतः ठोस अवशिष्ट कूड़ा प्रबंधन एवं आवारा पशु के टीकाकरण व नसबंदी , कम्मुनिटी सेंटर के रख-रखाव/ प्रबंधन आदि सेवाओं के लिए नामित किये जाने का प्रस्ताव है तथा समय समय पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्णित अन्य कार्यों का सम्पादन भी ऐसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन/ कोपरेटीव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी के तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य अनुबंध गठित कर इन्हे सशक्त करते हुए लाइसेंसिंग के आधार पर कराया जायेगा ।
- किसी भी वाद की स्थिति में , वाद का निस्तारण उ० प्र० अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत, न्याय क्षेत्र जिला गौतम बुद्ध नगर होगा ।



रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हुए पात्रता निर्धारित की गई है :

- 1) रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एक निवासी कल्याण संघ जिसे संक्षिप्त में RWA भी कहा जाता है), एक गैर-सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से भारतीय शहरों में एक विशिष्ट शहरी इलाके के निवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- 2) आरडब्ल्यूए सरकार के आधिकारिक अंग नहीं हैं , और यहां तक कि भारत में झुग्गियों और अवैध आवास इलाकों में नागरिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरडब्ल्यूए बना सकते हैं। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत कर , आगे परिभाषित किया गया है :

- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA)
- अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA)
- को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (CGHS)

3) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ,प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में विकसित आवासीय क्षेत्र के आवंटियों/उप-आवंटियों द्वारा उ०प्र० सोसाइटीज एक्ट-1860/ उ०प्र०अपार्टमेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई RWA/ AOA/ CGHS को ही मान्यता देकर वैधता प्रदान करता है ।

4) ग्रेटर नोएडा शहर के आवासीय आवंटियों / उप-आवंटियों द्वारा पंजीकृत कराई गई RWA / AOA / CGHS को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्धारित प्रारूप -फार्म में भर कर संलग्नक के साथ आवेदन कर मान्यता प्राप्त करनी होगी ।

(निर्धारित प्रारूप फार्म की प्रति इस हैंडबुक में आगे संलग्न है।)



➤ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) :

- a) ऐसी सक्रिय RWA जिसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गए विभिन्न सेक्टर में पट्टा विलेख पर विक्रय किये गए आवासीय भूखंड पर भूखंड स्वामियों द्वारा आवासीय भवनों निर्माण के उपरांत उन्हें सदस्य बनाकर उक्त सेक्टर / ब्लॉक के लिए उ०प्र० सोसाइटीज एक्ट-1860 के अंतर्गत डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट -फंड्स,मेरठ द्वारा पंजीकृत हो एवं उ०प्र०अपार्टमेंट अधिनियम निहित कार्य करती हो ।
- b) ऐसी सक्रिय RWA जिसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान,सुपर डीलक्स हाउसेस,चार मंजिला आवासीय परिसर में फ्लैट,पट्टा-विलेख पर विक्रय किया हो ,उन स्वामियों को सदस्य बनाकर उक्त सेक्टर/ ब्लॉक के लिए उ० प्र० सोसाइटीज एक्ट-1860 के अंतर्गत डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट - फंड्स,मेरठ द्वारा पंजीकृत हो एवं उ०प्र०अपार्टमेंट अधिनियम निहित कार्य करती हो ।
- c) ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का RWA की उप-विधि तैयार करने एवं डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट -फंड्स,मेरठ से पंजीयन कराने में कोई भूमिका नहीं होगी । RWA को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु यह आहर्ता स्वयं प्राप्त करनी होगी ।



➤ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स (AOA) :

- 1) ऐसी सक्रिय AOA जिसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बहुमंजिला आवासीय परिसर में फ्लैट निर्मित कर पट्टा विलेख पर विक्रय किया गया हो और उसके फ्लैट स्वामियों को सदस्य बनाकर उक्त परिसर के लिए उ०प्र०अपार्टमेंट अधिनियम अनुसार डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट फंड्स, मेरठ द्वारा पंजीकृत हो ।
- 2) ऐसी सक्रिय AOA जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख पर निजी भवन निर्माता को पट्टा विलेख पर आवंटित की गई और उक्त भूखंड पर निजी भवन निर्माता भवन परिसर विकसित कर बहुमंजिला फ्लैट निर्माण कर बनाये गए फ्लैट को उप-पट्टा विलेख पर विक्रय करता है । उसके फ्लैट स्वामियों को सदस्य बनाकर उक्त परिसर के लिए उ०प्र० अपार्टमेंट अधिनियम में डिप्टी-रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट फंड्स, मेरठ द्वारा पंजीकृत हो ।
- 3) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का AOA की उप-विधि तैयार करने एवं डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज व चिट -फंड्स, मेरठ से पंजीयन कराने में कोई भूमिका नहीं होगी । AOA को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु यह आहर्ता स्वयं प्राप्त करनी होगी ।



➤ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (CGHS)

- 1) ऐसी आवसीय एसोसिएशन जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख पर केंद्र सरकार के उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा अनुमोदित हाऊसिंग सोसाइटीज के लिए भूखंड आवंटित किये गए हैं एवं उन भूखंडों पर संबंधित उपक्रम की हाऊसिंग सोसाइटीज द्वारा आवसीय परिसर निर्मित कर उसके द्वारा उप-पट्टा विलेख पर विक्रय किया गया हो और इन भवन स्वामियों द्वारा ऐसी हाऊसिंग सोसाइटीज को संबंधित प्राधिकारी कार्यालय से पंजीकृत हो और उ०प्र०अपार्टमेंट अधिनियम निहित कार्य करती हो ।
- 2) ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का AOA की उप-विधि तैयार करने एवं संबंधित प्राधिकारी से पंजीयन कराने में कोई भूमिका नहीं होगी । AOA को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु , यह आहर्ता स्वयं प्राप्त करनी होगी ।



➤ भागीदारी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका एवं दायित्व :-

“शासन प्रणाली में जन भागीदारी” योजना में ग्रेटर नोएडा शहर की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को अपने संबंधित सेक्टर / ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए बेहतर नगरीय सेवा उपलब्ध कराये जाने के कार्यों में प्राधिकरण को सक्रिय सहयोग देते हुए कार्यवित्त करने की होगी जिसमें निम्न सेवाएं मुख्य रूप से शामिल हैं :

- 1) संबंधित सेक्टर / ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट के अतिरिक्त अगर कहीं पर आवश्यक हो तो उसके लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित करना एवं उपलब्ध स्ट्रीट लाइट के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना ।
- 2) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध फुटपाथ/सड़क के अतिरिक्त अगर कहीं पर आवश्यकसंगत हो तो प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित करना एवं उपलब्ध फुटपाथ / सड़क के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना ।
- 3) संबंधित सेक्टर/ ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध पेय जल सुविधा के संचालन एवं इसके रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना ।
- 4) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निर्मित जल संचयन इकाई कार्यशील रहे व रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना । अगर कहीं अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसके लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित करना ।
- 5) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध सीवेरज सुविधा के संचालन एवं नियमित रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना।
- 6) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में पार्को के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना । अगर कोई एसोसिएशन किसी पार्क के रखरखाव व प्रबंधन की करने की स्वतंत्र जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो उक्त एसोसिएशन द्वारा उसके लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है , जिसे अनुबंध गठित कर लाइसेंसिंग के आधार पर कराया जायेगा ।



- 7) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध ग्रीन बेल्ट के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना । अगर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किसी ग्रीन बेल्ट के रखरखाव व प्रबंधन की स्वतंत्र जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो उक्त एसोसिएशन द्वारा उसके लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है , जिसे अनुबंध गठित कर लाइसेंसिंग के आधार पर कराया जायेगा ।
- 8) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेंटर) के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना । अगर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किसी सामुदायिक केंद्र (कम्युनिटी सेंटर) के रखरखाव व प्रबंधन की स्वतंत्र जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो उक्त एसोसिएशन द्वारा उसके लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है, जिसे अनुबंध गठित कर लाइसेंसिंग के आधार पर कराया जायेगा ।
- 9) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में , पार्को में , ग्रीन बेल्ट में पहले से लगे पेड़ सुरक्षित रहे और उनका किन्ही भी परिस्थिति में कटान न हो ।
- 10) यह भी सुनिश्चित करना होगा की समय समय पर जब भी आवश्यक हो नए पेड़ो को प्राधिकरण द्वारा पहले से चिन्हित जगह पर ही लगाया जाये ।
- 11) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में , पार्को में, ग्रीन बेल्ट में कोई अतिक्रमण न हो ।
- 12) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर अगर कहीं प्रवेश / निकासी सड़क पर कोई गेट लगाना हो तो उसकी प्राधिकरण से पूर्व में अनुमति ली जाए ।
- 13) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में निवासियों द्वारा पाले जाने वाले कुत्तो का उक्त स्वामी अपने खर्च पर नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराया जाए एवं संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे निवासियों का उनके द्वारा पालतू कुत्तो का टीकाकरण का विवरण रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखे ।



- 14) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में आवारा कुत्तो की समय रहते नसबंदी कराई जाए । इसके लिए प्राधिकरण समय समय पर प्राधिकरण द्वारा आवारा कुत्तो के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत सहयोग करेगी , जिसके लिए उक्त एसोशिएसन को अलग से प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
- 15) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के घरों से रोज निकले वाले कूड़े (waste material) को अलग अलग निम्न श्रेणी बनाकर एकत्र किया जाए :
- पेपर / गिलास / प्लास्टिक / मेटल आदि
 - कटी सब्जी / फल / फूल आदि के अवशेष / बचा खाना आदि
 - ठोस अवशिष्ट
- 16) संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उक्त श्रेणीबद्ध तरीके से अपने स्तर व अपने खर्च पर निवासियों के घरों से रोज एकत्र करेगी एवं एकत्र किये गए कूड़े को प्राधिकरण द्वारा चिन्हित जगह पर पहुँचाकर उसका निस्तारण करेगी इसके लिए प्राधिकरण समय समय पर कूड़ा निस्तारण योजना के अंतर्गत सहयोग करेगी , जिसके लिए उक्त एसोशिएसन को अलग से प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
- 17) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में वहाँ के निवासियों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण से निकलने वाले ठोस कूड़े का निस्तारण उक्त निवासी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर करना होगा । संबंधित एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र कहीं भी ऐसा कूड़ा एकत्र न रहे एवं ऐसे ठोस कूड़े का निस्तारण समय से हो ।
- 18) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में खाली पड़े आवासीय भूखंडों का किसी के भी द्वारा दुरुपयोग न हो व न उनमें जंगली जानवर/पेड़-पौधे पनपे ।



- 19) यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता पड़ने पर मूल आवंटी पर RWA द्वारा साफ- सफाई पर आने वाले वास्तविक व्यय के अनुसार ही साक्ष्यों सहित अर्थदंड रोपित करते हुए अग्रतर कार्यवाही हेतु के अर्बन सर्विसेस विभाग को सूचित किया जाये।
- 20) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में समय समय पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आवश्यक दवाई का छिड़काव / सेनिटिजेशन कराया जाए ।
- 21) यह सुनिश्चित करना कि समय समय पर स्वच्छता अभियान शिविर / स्वस्थ एवं स्वच्छता जागरूकता शिविर / स्वस्थ परीक्षण शिविर आदि का आयोजन होता रहे ।
- 22) यह सुनिश्चित कर कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत फास्टफूड फूड-वेन, सब्जी, चाट, पान-बीड़ी-सिगरेट-गुटका तम्बाकू व कोई भी अनाधिकृत अस्थाई दुकान का संचालन न हो ।
- 23) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के जिन आवासीय स्वामियों द्वारा अपने आवास किराये पर दिए गए हो ,उक्त किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन हो । पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास होनी चाहिए एवं किराये पर रहने वाले व्यक्तियों का आधार कार्ड आधारित विवरण रजिस्टर में मेन्टेन हो।
- 24) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय स्वामियों द्वारा जो घरेलू सहायक/सहायिका काम पर रखे गए हैं , ऐसे घरेलू कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए । पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास होनी चाहिए ।
- 25) संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में जो घरेलू सहायक/सहायिका जो आवासीय स्वामियों के घर में रहते हो या रोज काम पर आते हो,का आधार कार्ड आधारित विवरण रजिस्टर में मेन्टेन हो ।



- 26) यह सुनिश्चित करना संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो कर्मचारी काम पर रखे गए हो उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया हो और उनका सम्पूर्ण विवरण आधार कार्ड आधारित एक रजिस्टर में मेन्टेन किया जाए।
- 27) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में व किसी भी आवास में किसी भी प्रकार की अवैध / अनैतिक गतिविधि / गैर प्रमाणित / अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधि ने हो।
- 28) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत होर्डिंग / विज्ञापन / बैनर बिना प्राधिकरण की अनुमति के न लगे और न ही किसी सार्वजनिक दीवार पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन या अनैतिक संदेश लिखा जाए।
- 29) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार को जिन नियम-शर्तों एवं सुविधाओं के साथ आवासीय भूखंड विक्रय किया गया, उन सबका अनुपालन उ०प्र०अपार्टमेंट एक्ट निहित कार्यान्वित हो।
- 30) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार को जिन मापदंडों पर आवासीय भूखंड / निर्मित आवास / फ्लैट विक्रय किये गए हैं, उन मापदंडों को पट्टेदार द्वारा पूर्णरूप से लागू किया जाए।
- 31) यह सुनिश्चित करना कि की शासन / प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशन और आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो।



भागीदारी में

अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स (AOA)

एवं

को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (CHS)

की भूमिका एवं दायित्व

“शासन प्रणाली में जन भागीदारी ” योजना में ग्रेटर नोएडा शहर की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स (AOA) एवं को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (CHS) को अपने संबंधित अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले निवासियों के लिए बेहतर नगरीय सेवा उपलब्ध कराये जाने के कार्यों में प्राधिकरण को सक्रिय सहयोग देते हुए कार्यवित्त करने की होगी जिसमें निम्न सेवाएं मुख्य रूप से शामिल हैं :

- 1) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित , अपार्टमेंट परिसर में उन सभी मापदंडों को पूर्णरूप से लागू किया जाय जिनको कंप्लीशन प्रमाणपत्र हेतू पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।
- 2) यह सुनिश्चित करना कि पट्टेदार द्वारा उप-पट्टेदार को जिन नियम - शर्तों एवं सुविधाओं के साथ आवासीय भूखंड विक्रय किया गया , उन सबका अनुपालन उ०प्र०अपार्टमेंट एक्ट निहित कार्यान्वित हो ।
- 3) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित , अपार्टमेंट परिसर में सभी जगह स्ट्रीट लाइट उपलब्ध रहे एवं उनका उचित रखरखाव ओनर्स एसोसिएशन अपने स्तर पर करती रहे ।
- 4) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित , अपार्टमेंट के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सभी जगह फुटपाथ / सड़क के रखरखाव अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन अपने स्तर पर करती रहे ।



- 5) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में उपलब्ध सीवेरज कार्यशील रहे व निकासी प्रवाह प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवेरज लाइन के साथ सुगम बना रहे।
- 6) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में उपलब्ध पेय जल सुविधा के संचालन एवं इसके रखरखाव अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन अपने स्तर पर करती रहे।
- 7) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में निर्मित जल संचयन इकाई कार्यशील रहे व रखरखाव अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन अपने स्तर पर करती रहे।
- 8) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में व किसी भी आवास में किसी भी प्रकार की अवैध / अनैतिक गतिविधि / गैर प्रमाणित / अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधि न हो।
- 9) संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र के बाहर स्थित ग्रीन बेल्ट के रखरखाव में प्राधिकरण को सहयोग करना । अगर कोई अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन किसी ग्रीन बेल्ट के रखरखाव व प्रबंधन की स्वतंत्र जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो उक्त एसोसिएशन प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित कर सकती है , जिसे अनुबंध गठित कर लाइसेंसिंग के आधार पर कराया जायेगा।
- 10) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में इसके निवासियों द्वारा पाले जाने वाले कुत्तों का उक्त स्वामी द्वारा अपने खर्च पर नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराया जाए एवं संबंधित अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ऐसे निवासियों का उनके द्वारा पालतू कुत्तों का टीकाकरण का विवरण रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखे।



- 11) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में रहने वाले आवारा कुत्तो की समय रहते नसबंदी कराई जाए । इसके लिए प्राधिकरण समय समय पर आवारा कुत्तो के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत सहयोग करेगी, जिसके लिए उक्त एसोशिएसन को अलग से प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
- 12) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर में परिसर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के घरों से रोज निकले वाले कूड़े (waste material) को अलग अलग निम्न श्रेणी बनाकर एकत्र किया जाए :
 - a) पेपर / गिलास / प्लास्टिक / मेटल आदि
 - b) कटी सब्जी / फल / फूल आदि के अवशेष/बचा खाना आदि
 - c) ठोस अवशिष्ट
- 13) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन उक्त श्रेणीबद्ध तरीके से अपने स्तर व अपने खर्च पर निवासियों के घरों से रोज एकत्र करेगी एवं एकत्र किये गए कूड़े को कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार चिन्हित जगह पर पहुँचाकर उसका निस्तारण अपने स्तर पर करेंगी । इसके लिए प्राधिकरण समय समय पर कूड़ा निस्तारण योजना के अंतर्गत सहयोग करेगी, जिसके लिए उक्त एसोशिएसन को अलग से प्रस्ताव प्रेषित करना होगा ।
- 14) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कंप्लीशन प्रमाणपत्र के अनुसार पट्टेदार द्वारा निर्मित चिन्हित जगह पर परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल का निस्तारण करने हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर संशोधित करेगी ।
- 15) अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में वहां के निवासियों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण से निकलने वाले ठोस कूड़े का निस्तारण उक्त निवासी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर करना होगा ।



- 16) संबंधित एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में व संबंधित सेक्टर/ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र कहीं भी ठोस कूड़ा एकत्र न रहे एवं ऐसे कूड़े का निस्तारण समय से हो।
- 17) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में समय समय पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आवश्यक दवाई का छिड़काव/ सेनिटिज़ेशन कराया जाए।
- 18) यह सुनिश्चित करना कि अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शिविर/ स्वस्थ एवं स्वच्छता जागरूकता शिविर / स्वस्थ परीक्षण शिविर आदि का आयोजन होता रहे।
- 19) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर में जिन आवासीय स्वामियों द्वारा अपने आवास किराये पर दिए गए हो, उक्त किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन हो। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पास होनी चाहिए एवं ऐसे व्यक्तियों का आधार कार्ड आधारित विवरण एक रजिस्टर में मेन्टेन हो।
- 20) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में आवासीय स्वामियों द्वारा जो घरेलू सहायक/सहायिका काम पर रखे गए हैं, ऐसे घरेलू कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पास होनी चाहिए।
- 21) यह सुनिश्चित करना संबंधित अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा जो कर्मचारी काम पर रखे गए हो उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया हो और उनका सम्पूर्ण विवरण आधार कार्ड आधारित एक रजिस्टर में मेन्टेन किया जाए।
- 22) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित आवासीय अपार्टमेंट परिसर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत होर्डिंग / विज्ञापन / बैनर बिना प्राधिकरण की अनुमति के न लगे और न ही किसी दीवार पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन या अनैतिक संदेश लिखा जाए।



भागीदारी में

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमिका एवं दायित्व

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण मूल रूप से एक औद्योगिक टाउनशिप है जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है । औद्योगिक क्षेत्र का विकास आवासीय क्षेत्र के विकास के बिना सम्भव नहीं है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा आवासीय क्षेत्र की नगरीय सेवाओं का बेहतर तरीके से आवश्यकताओं के अनुरूप दिए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत "शासन प्रणाली में जन भागीदारी" योजना के अंतर्गत प्राधिकरण की भूमिका को मुख्य रूप से निम्न प्रकार नियत किया गया है :

- 1) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा एक शहरी विकास सेवा अनुभाग स्थापित किया गया है । शहरी विकास सेवा अनुभाग के द्वारा ग्रेटर नोएडा शहर में बेहतर नगरीय सेवाएं देने का कार्य किया जायेगा ।
- 2) शहरी विकास सेवाएं अनुभाग का सीधा नियंत्रण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा किया जायेगा और इसके चेयरमैन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे ।
- 3) प्राधिकरण के नगरीय सुधर सेवा अनुभाग द्वारा ग्रेटर नोएडा शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अलग से आवश्यकतानुसार बजट बनाकर कार्य किया जायेगा ।
- 4) प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास सेवाएं अनुभाग की आवश्यकतानुसार अपने अभी विभागों के अधिकारियों की एक समन्वय टीम बनाकर सुविधाएं देने का कार्य किया जायेगा ।
- 5) सभी कार्य जैसे -जलाशयों की सफाई, वाटर लाइन की फ्लेशिंग, नालों की सफाई, सड़को की मरम्मत आदि कार्यों के लिए एक रोस्टर बनाया जायेगा और नियमित रूप से सभी कार्य रोस्टर के अनुरूप होंगे ।



- 6) “शासन प्रणाली में जन भागीदारी” योजना के अंतर्गत बेहतर नगरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त करनी वाली पंजीकृत RWA/AOA/CGHS से प्रत्येक क्षेत्र के अनुभवी व दक्ष चयन कर एक समिति गठित की जाएगी और समिति की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास कार्यों को संचालित किया जायेगा।
- 7) चयनित संस्था के वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव को ही भागीदारी योजना के अंतर्गत गठित की जाने वाली नगरीय समिति में अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।
- 8) प्राधिकरण के नगरीय सुविधा अनुभाग व नगरीय समिति के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं पारदर्शिता के लिए, उक्त समिति का संचालन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अनुभवी परामर्शदाता द्वारा किया जायेगा।
- 9) पंजीकृत RWA/AOA/CGHS से विकास कार्यों के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा।
- 10) वर्तमान में लागू नियम / शर्तों / भूमिका / दायित्वों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने व संशोधित करने का अधिकार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा।
- 11) ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र की सभी पंजीकृत RWA/AOA/CGHS, के लिए अनिवार्य है कि वे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कर ले अन्यथा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम-1976 के निहित अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी संस्था के पंजीयन को रद्द करने के लिए संबंधित पंजीयन कार्यालय को अपनी संतुति भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 12) इस प्रकाशित हैंडबुक में संकलित संबंधित विषयो पर स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए संकलनकर्ता अजेय कुमार गुप्ता, पेनल अधिवक्ता से मोबाइल नं० 9910311387 या उनके सहायक पंकज गुप्ता से मोबाइल नं० 9899964794 पर सम्पर्क कर सकते हैं।



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र

पंजीकृत संस्था का नाम :

पंजीकृत संस्था का प्रारूप : रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन / अपार्टमेंट ओनर्स
(जो लागू न हो उसे काट दे) एसोसिएशन / को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी

पंजीकृत संस्था का कार्यक्षेत्र :

- सेक्टर : ब्लॉक :
- अपार्टमेंट का नाम :
- हाउसिंग सोसायटी :

पंजीयन संख्या : पंजीकरण तिथि :

अंतिम नवीनीकरण की तिथि : PAN No.:

पंजीयन करने वाला कार्यालय :

पंजीयन के समय कुल सदस्यों की संख्या :

वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या :

पंजीकृत कार्यालय का पता :

पत्राचार हेतु पता :

दूरभाष न० Email id :

बैंक का नाम व शाखा :

खाता संख्या : IFSC :



वर्तमान कार्यकारी के पदाधिकारी :

अध्यक्ष : महासचिव :

Mobile : Mobile :

-: घोषणा :-

हम, संस्था का नाम : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता हेतु आमंत्रित आवेदन, दिनांक के संदर्भ में अपनी संस्था को " शासन प्रणाली में जन भागीदारी योजना " के अंतर्गत आवेदन प्रेषित करते हैं ।

हमने इस योजना के अंतर्गत भागीदारी में मान्यता प्राप्त करने के लिए, लागू सभी नियम एवं शर्तों को समझ लिया है एवं हम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम , शर्तों एवं मापदंडों के साथ, समय समय पर लागू किये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं ।

प्राधिकरण के संदर्भ एवं रिकॉर्ड के लिए निम्न दस्तावेज इस आवेदन के साथ सलग्न हैं :

- 1- मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्यकारी द्वारा जारी संकल्प पत्र
- 2- संस्था का पंजीकृत बायलॉज व पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
- 3- संस्था के PAN कार्ड की प्रति
- 4- संस्था के बैंक खाता के वर्तमान स्टेटमेंट की प्रति
- 5-अध्यक्ष एवं महासचिव के निवास व फोटो पहचान पत्र की प्रति

आवेदक ,
कृते (संस्था का नाम)

स्थान :
दिनांक :

(पद /हस्ताक्षर/ मोहर के साथ)